–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 03/08/23 को घोषित)

1– आरोपीगण ने आरोप स्वीकार किया है। अतः उसकी स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 34(1) म.प्र.आबकारी अधिनियम के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

दंडादेश या अन्य अंतिम आदेश

2– प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

3– आरोपी के विरूद्ध अभियोजन की ओर से पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः आरोपी को धारा–34(1) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000 – /– रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 07 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगताई जावे।

4– प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल शराब मूल्यहीन होने के कारण अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

मेरे बोलने पर टंकित किया

स्थान :– इटारसी
दिनांकः– 03/08/23

(निधि एम. पिंटो)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इटारसी जिला नर्मदापुरम (म0प्र0)